आज़ादी का
अमृत महोत्सव

साप्ताहिक सूचना पत्र

(दिनांक 01.01.2024 से 06.01.2024)

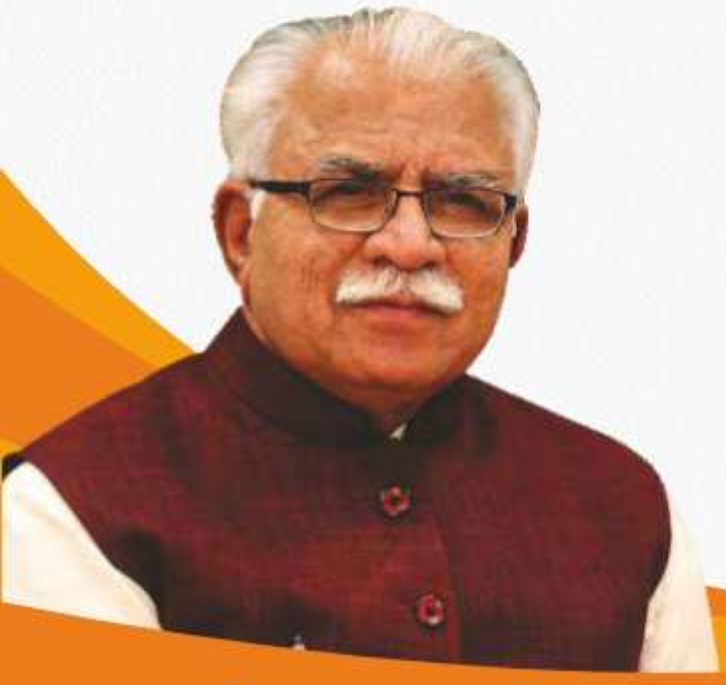

भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा

साप्ताहिक सूचना पत्र

सरकारी कर्मचारियों व उनके आश्रितों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का बड़ा तोहफा

(दिनांक 01.01.2024)

प्रभाव : माननीय राज्यपाल जी ने आज **आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का शुभारंभ किया।** इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित रहे। नववर्ष 2024 के अवसर पर **सरकारी कर्मचारियों व उनके आश्रितों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का बड़ा तोहफा दिया है।** कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को सांकेतिक रूप से आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए। **राज्य सरकार ने 1 नवंबर, 2023 को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए दो विभागों नामतः मत्सय व बागवानी के कर्मचारियों को शामिल करते हुए पायलट आधार पर योजना शुरू की थी, जिसे आज सभी नियमित**

साप्ताहिक सूचना पत्र

सरकारी कर्मचारियों के लिए विस्तारित कर दिया गया है। यह योजना आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण (राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना मौजूदा प्रावधानों के अनुसार न केवल **छः जीवन–घातक आपात बिमारियों यानी हृदय संबंधी आपात स्थिति, मस्तिष्क रक्तस्राव, कोमा, बिजली का झटका, थर्ड व फोर्थ स्टेज कैंसर रोगी, और किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं को कवर करती है,** बल्कि यह लाभार्थियों की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करते हुए सभी प्रकार के इनडोर उपचारों /डे केयर प्रक्रियाओं को कवर करती है। ये सेवाएं इस योजना के तहत **डीजीएचएस के पैनल में शामिल सभी अस्पतालों में लाभार्थियों के लिए उपलब्ध होंगी।** सूचीबद्ध अस्पतालों में योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सभी लाभार्थियों को ई–कार्ड/सीसीएचएफ कार्ड जारी किया जाएगा। लाभार्थी पेयी कोड, आधार नंबर या पीपीपी नंबर का उपयोग करके लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

साप्ताहिक सूचना पत्र

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान

(दिनांक 02.01.2024)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण संवर्धन और शहरी जल, सीवरेज और बरसाती जल–राज्य योजना के तहत प्रदेश के **6 जिलों अर्थात् गुरूग्राम, सोनीपत, रोहतक, रेवाडी, झज्जर और महेंद्रगढ़ में 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 12 नई परियोजनाएं लागू करने का निर्णय** लिया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहां जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली इन परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की। उन्होंने बताया कि उक्त योजना के तहत गुरुग्राम जिला में 6.94 करोड़ रूपये, सोनीपत जिला में 172.30 लाख रूपये, रोहतक जिला में 179.63 लाख रूपये, रेवाड़ी जिला में 16.53 करोड़ रूपये, झज्जर जिला में 2.91 करोड़ रूपये तथा महेंद्रगढ़ जिला में 24.37 करोड़ की लागत से विभिन्न परियोजनाएं लागू की जाएँगी।

साप्ताहिक सूचना पत्र

झज्जर जिले में नई सड़क के निर्माण के लिए 9.97 करोड़ रुपये मंजूर

(दिनांक 02.01.2024)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहां **झज्जर जिले में परित्यक्त कुलासी लिंक ड्रेन की भूमि पर 9. 97 करोड़. रुपये की लागत से बनने वाली नई सड़क परियोजना के निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी दी।**

इस संबंध में एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि प्रस्तावित सड़क, जिसकी कुल लंबाई 5.183 किमी है, जो एक तरफ एमडीआर–138 (बहादुरगढ़–नाहरा–नाहरी रोड) और दूसरी तरफ (सांखोल–बाराही रोड) के साथ जोड़गी।

इसके अलावा सड़क सांखोल–बाराही रोड से लगभग 1.00 किमी पर प्रस्तावित उत्तरी बाईपास के साथ मिलती है। उन्होंने बताया कि साइट का कार्यकारी अभियंता, प्रांतीय डिवीजन पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) द्वारा सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया गया था। अधिकारियों और स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति में किए गए निरीक्षण में इस बात की पुष्टि हुई कि परित्यक्त कुलासी लिंक ड्रेन की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

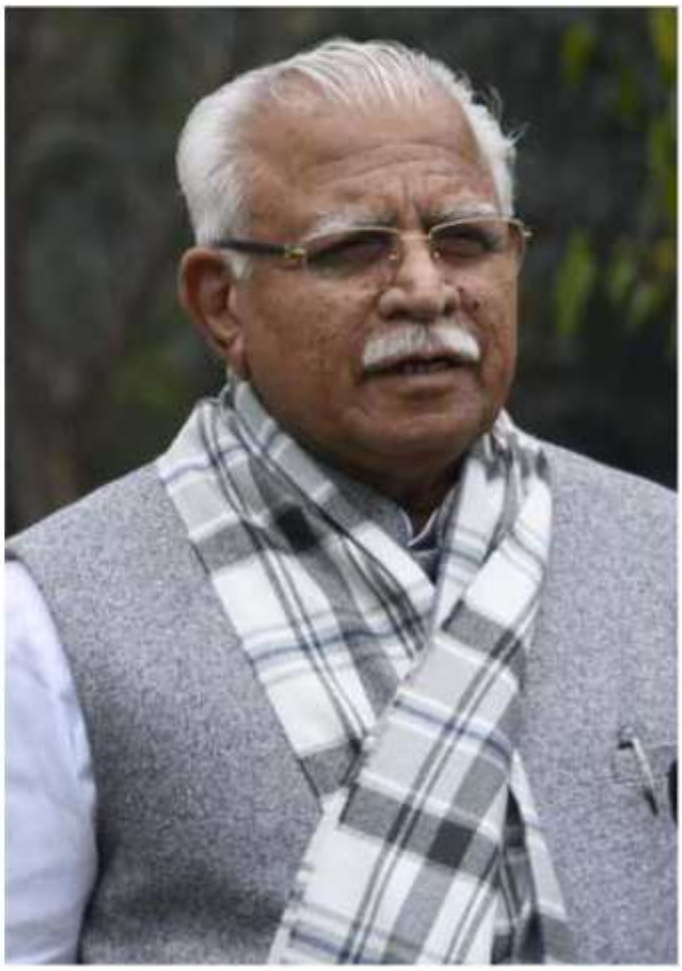

साप्ताहिक सूचना पत्र

खेल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक

(दिनांक 02.01.2024)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहां हरियाणा में खेलों के लिए नया आधारभूत ढांचा विकसित के रोडमैप के संबंध में खेल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर कहा खेलों के क्षेत्रों में **राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना चुके हरियाणा में अब गांव–गांव तक खेल आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा, ताकि युवाओं की खेल प्रतिभाओं को बचपन से तराशा जा सके।** इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्षेत्र अनुसार लोकप्रिय खेलों में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्पेशलाइज्ड हाई पावर परफोरमेंस सेंटर खोलने की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिए कि **खेल विभाग और पंचायत विभाग द्वारा गांवों में खेलों के लिए विकसित आधारभूत ढांचे की भी मैपिंग की जाए, ताकि जरूरत के अनुसार हर क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा सके।** उन्होंने यह

भी निर्देश दिए कि जन संवाद पोर्टल, ग्राम दर्शन और नगर दर्शन पोर्टल पर भी लोगों द्वारा उनके क्षेत्र में स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, स्पोर्ट्स नर्सरी या अन्य संस्थान बनाने की मांग दर्ज की गई है तो उन मांगों की भी मैपिंग कर एक सूची तैयार की जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि **पदक विजेता खिलाड़ी, जो आउटस्टेंडिंग स्पोर्ट्सपर्सन पॉलिसी (ओएसपी) के तहत नौकरी प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें भी प्रोत्साहित किया जाए कि वे अपने–अपने खेलों में युवाओं को प्रतिभावान बनाने के लिए स्पोर्ट्स नर्सरियों का संचालन करें।**

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि खेल विभाग द्वारा स्पोर्ट्सपर्सन की सूची तैयार की जाए, जिनमें लोकप्रिय तथा छोटे स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ी भी शामिल हों। उन्होंने कहा कि कई बार छोटे स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों को बड़े टूर्नामेंट में खेलने का मौका नहीं मिल पाता, इसलिए सरकार ऐसे खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने का पूरा

मौका देगी, ताकि कोई भी हुनरमंद खिलाड़ी पीछे न रहे। ऐसे खिलाड़ियों को उनके खेल के अनुसार ट्रेनिंग मुहैया करवाने पर भी पूरा फोकस किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि **जीआईएस हरियाणा पोर्टल पर राज्य में उपलब्ध स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर का पूरा डाटा अपलोड कर दिया गया है। वर्तमान में 11 स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य विभिन्न स्तर पर निर्माणाधीन है।**

साप्ताहिक सूचना पत्र

जीएसटी कलेक्शन में उल्लेखनीय वृद्धि

(दिनांक 02.01.2024)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश के वित्तमंत्री भी हैं, उनके कुशल नेतृत्व में आबकारी एवं कराधान विभाग ने माल और सेवा कर (जीएसटी) के संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। **दिसंबर महीने में देश में एकत्रित सकल जीएसटी राजस्व 1,64,822 करोड़ रुपये है, जो पिछले साल के इसी महीने के जीएसटी राजस्व से 10.3 अधिक है।**

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि **आबकारी एवं कराधान विभाग ने दिसंबर महीने में जीएसटी संग्रह में असाधारण प्रदर्शन किया है, जिससे राज्य की आर्थिक सुरक्षा में मजबूती आई है।** उन्होंने कहा कि जीएसटी कलेक्शन में हुई ये वृद्धि प्रदेश की आर्थिक प्रगति को तो दर्शाती ही है, साथ ही यह राज्य के विकास के लिए एक सकारात्मक संकेत भी है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि हम आगे भी

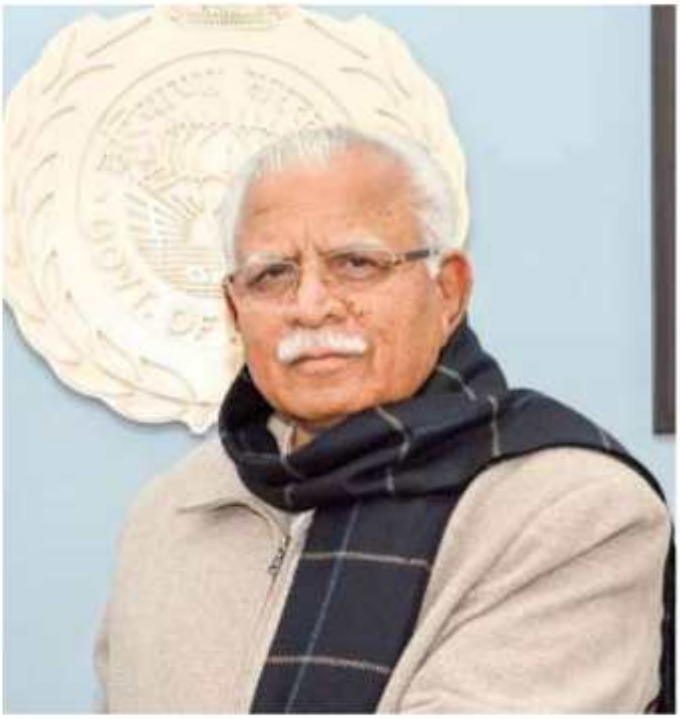

ऐसे ही प्रगति करते रहेंगे और हरियाणा को आर्थिक और वित्तीय स्तर पर एक मजबूत राज्य बनाएंगे। इस वर्ष का कुल बजट अनुमान 57,931 करोड़ रुपए है और 31 दिसंबर, 2023 तक विभाग ने विभिन्न मदों के तहत सफलतापूर्वक 46,349 करोड़ रुपए जमा किए हैं। इसके अलावा जीएसटी संग्रह में हरियाणा देश के शीर्ष 5 राज्यों में बना हुआ है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

मंत्रिमंडल की बैठक

(दिनांक 03.01.2024)

प्रभाव : मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज यहाँ मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें मुख्यतः निम्न निर्णय लिये गयेः–

स्कूल शिक्षा विभाग की कार्य संचालन आवंटन नियम 1974 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान

संशोधन की आवश्यकता उच्चतर शिक्षा विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग को अलग करने के लिए जरूरी थी। संशोधन का उद्देश्य स्कूल शिक्षा विभाग का दायरा और कर्तव्यों को उच्चतर शिक्षा विभाग से अलग करना है।

शैक्षिक (महाविद्यालय संवर्ग) ग्रुप–ख सेवा नियम, 1986 में संशोधन को मंजूरी प्रदान

इन नियमों को हरियाणा शैक्षिक (महाविद्यालय संवर्ग) ग्रुप–ख सेवा (संशोधन) नियम, 2023 कहा जाएगा।

पात्रता के लिए किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित/सुसंगत/सम्बद्ध विषय में 55 प्रतिशत अंकों सहित मास्टर डिग्री (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है, वहां पॉइंट–स्केल में समकक्ष ग्रेड) के साथ

बेहतर शैक्षणिक रिकॉर्ड या किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री, को शामिल किया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अथवा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) अथवा यूजीसी द्वारा प्रत्यायित समरूप परीक्षा, जैसे एसएलईटी/एसईटी अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम. फिल/पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 या 2016 और समय–समय पर इनमें बाद में किए गए संशोधनों, जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो, उन्हें एनईटी/एलएलईटी /एसईटी से छूट प्रदान की जाएगी।

राज्य वन कार्यकारी अनुभाग (ग्रुप–ग) सेवा नियम, 1998 में काडर से संबंधित पात्रता मानदंड और भर्ती शर्तों में संशोधन को मंजूरी प्रदान

हरियाणा राज्य वन कार्यकारी अनुभाग (ग्रुप–ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2023 आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

संशोधन के अनुसार, अब सीधी भर्ती और पदोन्नत वन रेंजरों का अनुपात 50–50 होगा। जबकि वर्तमान में यह अनुपात 67रू33 है। डिप्टी रेंजर्स को पदोन्नति के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की सिफारिश के मद्देनजर यह संशोधन किया गया है।

वर्तमान में, विभाग में वन रेंजरों के 126 पद हैं, जिनमें से 67 प्रतिशत हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं तथा 33 प्रतिशत पर डिप्टी रेंजरों से पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की जाती है।

हरियाणा वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, राज्य सेवा, कार्यकारी (ग्रुप–क तथा ग्रुप –ख) सेवा नियम, 1998 में संशोधन को मंजूरी।

ये नियम हरियाणा वन्य प्राणी परिरक्षण

साप्ताहिक सूचना पत्र

विभाग, राज्य सेवा, कार्यकारी (ग्रुप–क तथा ग्रुप–ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2023 कहे जाएंगे। संशोधन के अनुसार, मुख्य वन्य जीव वार्डन का पद राज्य नियमों से हटा दिया गया है, क्योंकि अब इसे भारत सरकार द्वारा भारतीय वन सेवा (हरियाणा कैडर) में पीसीसीएफ स्तर पर शामिल किया गया है। यह संशोधन सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं और दिशा–निर्देशों के अनुपालन में किया गया है।

ग्रामीण परिवारों का पेयजल शुल्क माफ करना।

ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत सरचार्ज और ब्याज सहित बकाया पानी के शुल्क की 374.28 करोड़ रुपये की माफी को मंजूरी दे दी है।

प्रदेश सरकार के इस कदम से राज्य भर में सामान्य श्रेणियों और अनुसूचित जाति के करोड़ों पेयजल उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इस निर्णय से राज्य भर के ग्रामीण क्षेत्रों में 28.87 लाख पानी के कनेक्शन धारकों को राहत मिलेगी। हालांकि, यह छूट जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थागत, वाणिज्यिक या औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए लागू नहीं है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 के नियम 225 के तहत परिवहन निरीक्षकों को चालान करने की शक्तियां प्रदान करने को मंजूरी।

राज्य भर में विस्तारित प्रवर्तन क्षमताओं की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 के नियम 225 के तहत इन ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर को चालान करने की शक्तियों के विस्तार को मंजूरी दी है।

इस रणनीतिक निर्णय का उद्देश्य परिवहन विभाग के अन्दर प्रवर्तन प्रक्रियाओं को और मजबूत करना है, जिससे पूरे राज्य में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का अधिक प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित हो सके।

ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर अब चालान जारी करने के अधिकार का प्रयोग कर सकेगें, यदि संबंधित डीटीओ–सह–सचिव आरटीए द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गए हों और परिवहन आयुक्त से पूर्व अनुमोदन किया हो। इस प्रकार अतिरिक्त अधिकारियों को चालान की शक्तियां देकर, हरियाणा सरकार मोटर वाहन अधिनियम का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी, इससे राज्य भर में सुरक्षित और अधिक विनियमित परिवहन सेवाओं में सहयोग मिलेगा।

इको–टूरिज्म के विकास की नीति को मंजूरी।

इस नीति का उद्देश्य राज्य की समृद्ध जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, विरासत स्मारकों और सांस्कृतिक विविधताओं का संरक्षण करना है। यह नीति हरियाणा को एक प्रमुख इको–टूरिज्म स्थल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो प्रकृति, संस्कृति और सामुदायिक जुड़ाव से समृद्ध एवं संपन्न है।

हरियाणा सरकार इको–टूरिज्म नीति के उद्देश्यों को साकार करने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए हितधारकों, पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों को आमंत्रित करती है। यह नीति हरियाणा की मौजूदा जैव विविधता,

पारिस्थितिकी तंत्र, विरासत स्मारकों, संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण करेगी और हरियाणा के जंगल के जैव विविधता और विरासत मूल्यों को बढ़ावा देगी।

यह नीति प्रकृति पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और स्वदेशी सामग्रियों के स्थायी उपयोग को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान करती है और समग्र पर्यावरण–पर्यटन विकास के लिए स्थानीय समुदायों, गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, निजी उद्यमों और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करती है, जिससे ऐसे समुदायों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, कनिष्ठ अभियंता और अतिरिक्त उपमंडल अभियंता (ग्रुप सी) सेवा नियम, 2014 में संशोधन को मंजूरी।

मौजूदा नियमों के अनुसार, विशिष्ट पदों के लिए ग्रुप–सी और ग्रुप–डी कर्मचारियों से पदोन्नति कोटा कुल पदों का 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। ग्रुप–डी कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, संशोधित नियमों में कनिष्ठ अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए ग्रुप–सी के लिए 10 प्रतिशत और ग्रुप–डी के लिए 5 प्रतिशत का पदोन्नति कोटा प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त, कनिष्ठ अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद ही अनुभव पर विचार किया जाएगा।

हरियाणा चौंकीदार नियम, 2013 में संशोधन को मंजूरी।

बैठक में ग्रामीण चौकीदारों को सेवानिवृत्ति के बाद 2 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा चौंकीदार नियम, 2013 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। इस निर्णय से सभी ग्रामीण चौकीदारों को लाभ होगा और राज्य सरकार वित्तीय भार वहन करेगी।

इन नियमों को हरियाणा चौंकीदार

संशोधन नियम, 2024 कहा जाएगा। संशोधन के अनुसार, हरियाणा चौंकीदार नियम, 2013 के नियम–12 के तहत एक नया उप–नियम (2क) जोड़ा गया है, ताकि प्रत्येक ग्रामीण को सेवानिवृत्ति के बाद 2 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जा सकेगी।

वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना को स्वीकृति।

बैठक में दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। योजना के अनुसार राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति–2021 में कुल 55 दुर्लभ बीमारियों का उल्लेख है और यह बहुक्रियात्मक रोग हैं।

वर्तमान में हरियाणा में लगभग 1000 मरीज इन अधिसूचित दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हैं। सरकार का लक्ष्य प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है।

इस योजना के तहत, पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को 2,750 रुपये प्रति माह की मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता आवेदक

साप्ताहिक सूचना पत्र

द्वारा किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्राप्त किए जा रहे लाभ के अतिरिक्त होगी।

हरियाणा पिछड़ा वर्ग (सेवा एवं शिक्षा संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2016 की सूची में पिछड़े वर्गों की राज्य सूची को संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करना।

समय–समय पर व्यक्तियों और संघों/संगठनों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरि, थोरी या तुरी और राय सिख समुदायों को पिछड़े वर्गों की राज्य सूची (ब्लॉक–ए) से हटाने का अनुरोध किया गया है क्योंकि इन जातियों को केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया गया है।

केंद्र सरकार ने इन जातियों को हरियाणा की ओबीसी सूची से भी हटा दिया है क्योंकि अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की सूची परस्पर सामान्य है और एक समुदाय को एक ही

समय में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है। पिछड़ा वर्ग (ब्लॉक–ए) की सूची में क्रमांक–1 से अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरि, थोरी अथवा तुरी को हटाने के बाद नायक जाति क्रमांक–1 पर ही रहेगी तथा क्रमांक–50 से राय सिख को हटाते हुए क्रमांक–50 पर श्30 जून 2016 से हटा दिया गयाश् शब्द जोड़े गए हैं, क्योंकि भारत सरकार ने उसी तारीख से इन जातियों को हरियाणा की ओबीसी सूची से भी हटा दिया है।

इसके अलावा, बीसी ब्लॉक (ए) सूची के

साप्ताहिक सूचना पत्र

क्रम संख्या–31 पर, जोगी जंगम को जंगम में संशोधित किया जाएगा, जबकि अन्य मौजूदा प्रविष्टियां वैसी ही रहेंगी।

परम विशिष्ठ सेवा मैडल के लिए एकमुश्त 6,50,000 रुपये का नकद पुरस्कार देने के प्रस्ताव को मंजूरी।

बैठक में हरियाणा सरकार द्वारा विशेष मामले के रूप में एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीरचक्र, वीएसएम, एडीसी को परम विशिष्ठ सेवा मैडल के लिए एकमुश्त 6,50,000 रुपये का नकद पुरस्कार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अनुभवी अधिकारी, एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीआरसी, वीएसएम, एडीसी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी, 2022 को पीवीएसएम से सम्मानित किया गया है, जिसे भारत सरकार के गजट 9 अप्रैल, 2022 को अधिसूचित किया गया था।

29 दिसंबर 1982 को सेवा में शामिल होने के समय अधिकारी का पता लुधियाना (पंजाब) था। 26 जनवरी, 2022 को पुरस्कार प्राप्त करते समय अनुभवी अधिकारी का पता 1988 से सेक्टर–2, पंचकुला है।

इसलिए, कैबिनेट ने नीति संख्या 28/2/2005–4 डी–प्प् में छूट देते हुए 28 मई, 2014 के अनुरूप अनुदान राशि जारी करने का निर्णय लिया है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड की 16 वीं बैठक

(दिनांक 04.01.2024)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी की **अध्यक्षता में हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड की 16 वीं बैठक के दौरान यूनो मिंडा लिमिटेड को मेगा प्रोजेक्ट के लिए लगभग 94. 32 एकड़ भूमि आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।** इसके अलावा, सुजुकी मोटरसाईकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भी आईएमटी खरखौदा में लगभग 2 हजार करोड़ रुपये के निवेश के साथ मेगा प्लांट लाने के लिए प्रस्ताव दिया है।

गुरुग्राम के बाद अब आईएमटी खरखौदा भी औद्योगिक विकास की दृष्टि से विकसित होने जा रहा है। खरखौदा में मारुति सुजुकी के मेगा प्लांट के बाद अब यूनो मिंडा लिमिटेड भी लगभग 1100 करोड़ रुपये के निवेश के साथ अपना मेगा प्रोजेक्ट लगाएगी, जिससे इस क्षेत्र का और अधिक विकास होगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। **कंपनी द्वारा प्रदेश में लगभग 600 करोड़ रुपये का निवेश होगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे।** पानीपत में प्लांट स्थापित करने से कंपनी को जहां एक ओर कच्चे माल की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित होगी वहीं सरकार को भी राजस्व के नाते भी लाभ होगा।

आईएमटी रोहतक में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एमएसआईएल) को आवंटित 700 एकड़ भूमि में से 600 एकड़ में भूमि पर एमएसआईएल लगभग 3600 करोड़ रुपये के निवेश के साथ अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) गतिविधियां पहले से ही संचालित कर रहा है, जिससे लगभग 3400 लोगों को रोजगार मिला है। अब एमएसआईएल ने अपनी इसी यूनिट के विस्तार हेतु शेष 100 एकड़ जमीन को भी लेने की ईच्छा व्यक्त की है, जिसे बोर्ड ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

नववर्ष पर आशा वर्कर, एचकेआरएन तथा एनएचएम कर्मियों को तोहफा

(दिनांक 05.01.2024)

प्रभाव : प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का लाभ अंत्योदय परिवारों तक पहुंचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरू की गई चिरायु हरियाणा योजना के माध्यम से आज प्रदेश की आधी आबादी को सरकारी व निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है।

इससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी अब 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक आय वाले परिवारों को भी इस योजना में लाकर चिरायु हरियाणा योजना के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया है, ताकि पैसे के अभाव में कोई गरीब परिवार गंभीर बिमारियों के इलाज से वंचित न रहे सकें।

ऐसे परिवार मात्र 1500 रुपए का वार्षिक प्रीमियम देकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

नववर्ष 2024 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ओर बड़ी सौगात देते हुए आशा वर्कर्स सहित अन्य श्रेणियों को भी इस योजना में लाने का निर्णय लिया है।

1 जनवरी, 2024 से 4754 आशा वर्कर्स, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये है, तथा 24051 एचकेआरएन कर्मचारी जो ईएसआई या ऐसी अन्य किसी योजनाओं के अंतर्गत कवर नहीं होते, उन्हें भी अब इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 7814 अनुबंध कर्मचारियों को भी आयुष्मान–चिरायु हरियाणा योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा। उपरोक्त सभी श्रेणियों को 1500 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष के मामूली अंशदान पर योजना का लाभ मिलेगा।

साप्ताहिक सूचना पत्र

विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक

(दिनांक 05.01.2023)

प्रभाव : **माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहां सभी जिला उपायुक्तों के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की और उपयुक्तों से यात्रा के संबंध में फीडबैक लिया और नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निदान बारे भी फीडबैक लिया।**

उन्होंने जिला उपायुक्तों निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक जिले में आयोजित कार्यक्रमों में नागरिकों की उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास करें ताकि नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही निदान हो सके।

उन्होंने कहा कि **यात्रा के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में केंद्र व राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं परिवार पहचान पत्र, आयुष्मान योजना, निरोगी हरियाणा इत्यादि के स्टॉल्स की संख्या को बढ़ाया जाए ताकि अधिक से अधिक नागरिकों को**

साप्ताहिक सूचना पत्र

सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिए कि सेवा विभाग और नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रिड) की अलग–अलग टीमें गठित की जाएं, ताकि हर नागरिक के प्रतिवेदन को स्वीकार किया जा सके और उनकी समस्याओं का संपूर्ण समाधान सुनिश्चित हो सके।

राज्य में 30 नवंबर को शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा दिन–प्रतिदिन नागरिकों में नया जोश भर रही है। बैठक में बताया गया कि अब तक 4802 ग्राम पंचायतों/वार्डों में यात्रा पहुंच चुकी है और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है।

यात्रा में जन प्रतिनिधियों की भागदारी सहित अब तक लगभग 35 लाख 17 हजार से अधिक संख्या में लोगों ने भाग लिया है।

उन्होंने कहा कि 26 जनवरी तक इस यात्रा का संचालन किया जाना है और

इस दौरान हम सभी का यह ध्येय होना चाहिए कि अंत्योदय की भावना से पात्र व्यक्ति को हर योजना का लाभ दिया जाए। **उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि हर गांव में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों से संबंधित डाटा दर्ज करने के लिए डीआईओ ही नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए।**

साप्ताहिक सूचना पत्र

पंचकूला में रोड–शो का आयोजन

(दिनांक 06.01.2024)

प्रभाव : भारतीय जनता पार्टी के **राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा और माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में आज यहाँ पंचकूला में एक रोड –शो का आयोजन किया गया।** इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावा, प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सैनी भी साथ थे। **रोड–शो के दौरान भारी संख्या में लोग शामिल हुए और अपने नेताओं का लोगों ने पुष्प–वर्षा के साथ स्वागत किया।** यह रोड–शो पंचकूला के रेड–बिशप पर्यटन केंद्र के सामने से शुरू होकर बैलाविस्टा चौक पर सम्पन्न हुआ। रोड शो के बाद माननीय मुख्यमंत्री समेत अन्य नेताओं ने अशोक चक्र से सम्मानित शहीद मेजर संदीप शांकला की स्टैच्यू पर पुष्प–माला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के **राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने अपने सम्बोधन में माननीय मुख्यमंत्री जी की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार और हरियाणा**

साप्ताहिक सूचना पत्र

में मनोहर सरकार को लाने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रदेश के लोगों की खुशनसीबी है कि हरियाणा की मनोहर सरकार केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों को अक्षरश लागू कर रही है। मनोहर सरकार का भी यह प्रयास रहा है कि कोई भी व्यक्ति अन्न, मकान और स्वास्थ्य योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। सभी नीतियों को धरातल पर उतार कर पात्र लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठा रही है।

श्री नड्डा ने माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरू की गई परिवार पहचान पत्र योजना के लिए पीठ थपथपाते हुए कहा कि इस योजना ने प्रदेश में आमूल –चूल परिवर्तन कर दिया है, लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं पड़ रहे बल्कि सरकार खुद लोगों के द्वार पर पहुँच रही है।

उन्होंने हरियाणा में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मौके पर किए जा रहे अनेक कार्यों के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी की विकसित सोच को सराहा।

उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, आवास योजना समेत अन्य योजनाओ को कल्याणकारी योजनाएं बताते हुए कहा कि **माननीय प्रधानमंत्री जी की बेहतरीन नीतियों की बदौलत आज भारत में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं और अति गरीब मात्र 1 प्रतिशत से भी कम रह गए हैं।**

आज हमारा देश अर्थव्यवस्था के मामले में विश्व में 5 वें नंबर पर है और इसी गति से विकास रहा तो वर्ष 2027 में हम तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन जाएंगे।

साप्ताहिक सूचना पत्र

विकसित भारत संकल्प यात्रा में भागीदार लोगों से संवाद

(दिनांक 07.01.2024)

प्रभाव : माननीय **मुख्यमंत्री जी ने आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा में भागीदारी कर रहे लोगों से संवाद कर कहा कि आज देश व प्रदेश में पात्र नागरिकों को सरकारी योजनाओं व सुविधाओं का लाभ स्वतः उनके घर द्वार पर मिल रहा है।** उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया कि यात्रा में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित कर केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अवश्य उठाएं।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस **यात्रा का उद्देश्य है कि भारत देश विकसित देशों की श्रेणी में कैसे आए। आज दुनिया के लगभग 200 देशों में 37 देश ऐसे हैं जो विकसित श्रेणी में आते हैं।**

उन्होंने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान–शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, यह हर नागरिक को सुलभ तरीके से मिलेगा, तो उस दिन हमारा देश विकसित होगा। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, ताकि लोगों को रोजगार के अवसर मिलें। हरियाणा में भी राज्य सरकार ने हर ब्लॉक में सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके अलावा, राज्य में **लगभग 65**

साप्ताहिक सूचना पत्र

हजार स्वयं सहायता समूहों से लगभग 65 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में फूड प्रोसेसिंग उद्योग बढ़े हैं और पिछले आठ वर्षों में लगभग 28,000 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिला है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने हरियाणा में **7 स्टार विकास की दिशा में बढ़ रहे हैं यानि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सेवा और सुशासन।** इसके आधार पर हम नागरिकों को बहुत सी सेवाएं दे रहे है। उन्होंने कहा कि हमने जब वर्ष 2014 में सरकार बनाई, उस समय हरियाणा एक–हरियाणवी एक का नारा दिया। **सामाजिक समरसता पर चलते हुए हमने सभी योजनाओं का लाभ नागरिकों को दिया है।** उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं व सुविधाओं पर सबसे पहला हक गरीब का है, चाहे वह किसी भी जाति का हो। इसलिए

अंत्योदय दर्शन के अनुरूप राज्य सरकार गरीबों को लाभ प्रदान कर रही है। **उन्होंने कहा कि आम जनमानस की शिकायतों को दूर करने और सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से अप्रैल, 2023 से हरियाणा में जनसंवाद के कार्यक्रम शुरू किए गए। लगभग 115 कार्यक्रम उन्होंने स्वयं किए और अन्य मंत्रीगण, सांसदों व विधायकों द्वारा भी जन संवाद के कार्यक्रम किए गए।** इस

साप्ताहिक सूचना पत्र

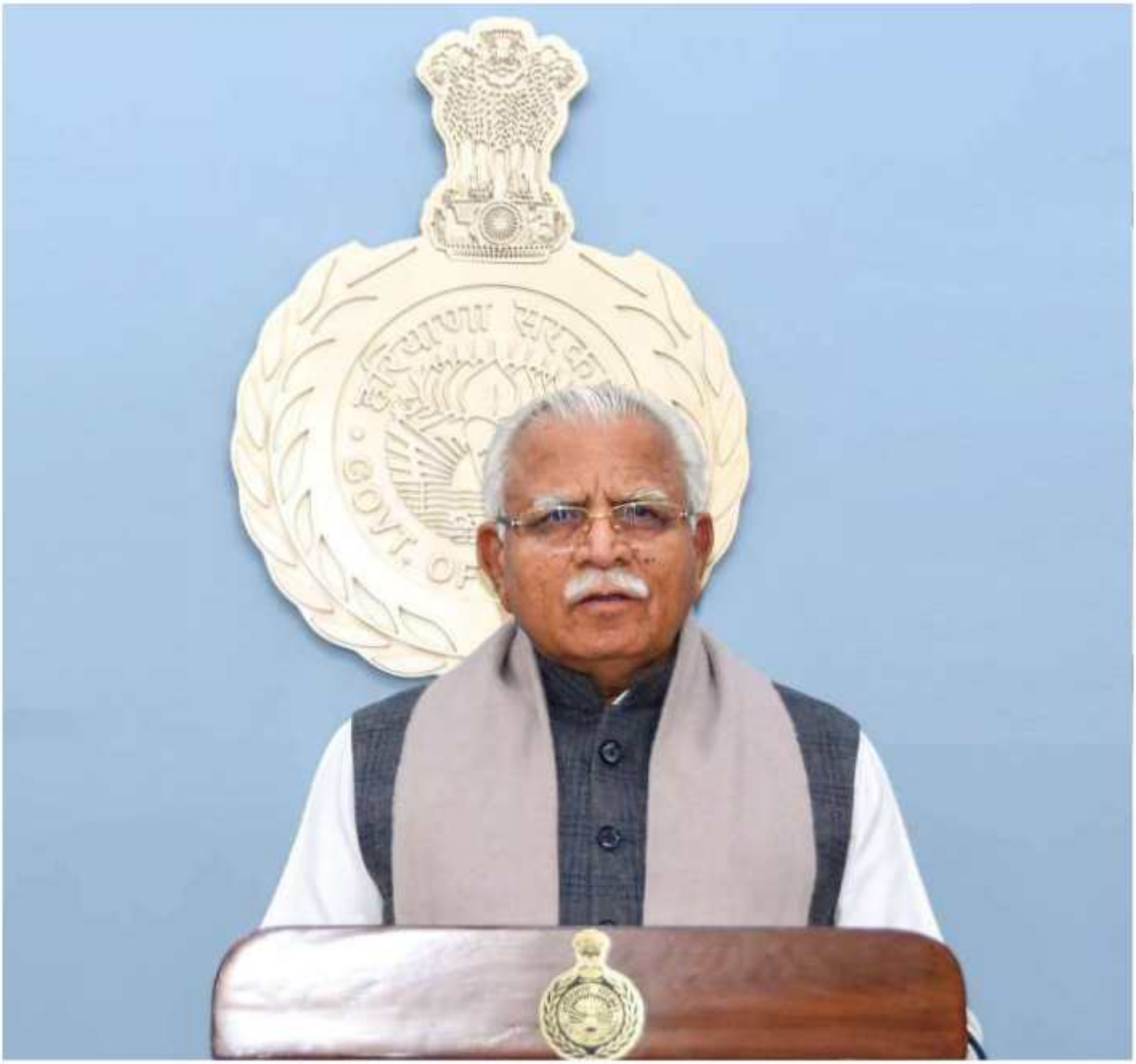

प्रकार कुल 1000 से ज्यादा कार्यक्रम हो चुके थे। लेकिन इस दौरान जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की तो हमने जनसंवाद कार्यक्रम को भी इस यात्रा के साथ जोड़ दिया। उन्होंने कहा

साप्ताहिक सूचना पत्र

कि **हरियाणा में 30 नवंबर, 2023 को जिला फरीदाबाद के फतेहपुर बिलौच गांव से विकसित भारत संकल्प यात्रा की विधिवत शुरुआत की गई और इस दौरान आज तक लगभग 5099 कार्यक्रम हो चुके हैं, जिनमें 37 लाख से अधिक लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है।**

शेष 3300 कार्यक्रम भी 25 जनवरी तक पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान लोगों को **केंद्र सरकार की योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, मुद्रा योजना, स्वामित्व योजना, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है।**

स्वास्थ्य शिविरों में लगभग 6 लाख 42 हजार से अधिक लोगों की जांच की गई है और लगभग 4.39 लाख से ज्यादा लोगों की टीबी की जांच की गई।

उन्होंने कहा कि 1.17 लाख लोगों को सेवा विभाग के तहत स्व रोजगार शुरू करने या अन्य योजनाओं के तहत लाभ लेने के लिए परामर्श दिया गया है। 1.48 लाख लोगों ने परिवार पहचान पत्र अपडेट कराया है और 43 हजार किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत जानकारी दर्ज करवाई है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि **यात्रा के दौरान जिन नागरिकों की शिकायतों का मौके पर निदान नहीं होता, उनके प्रतिवेदन मुख्यालय पर पहुंचते हैं और उन्हें जन संवाद पोर्टल पर दर्ज किया जाता है।**

एक–एक प्रतिवेदन को पढ़कर संबंधित विभाग को भेजा जाता है, ताकि जल्द से जल्द उनका निदान किया जा सके। अब तक जन संवाद पोर्टल पर 59,000 आवेदन दर्ज हुए हैं, जिनमें से लगभग 12,000 के काम पूरे हो गए हैं और कुछ व्यवहार्य नहीं है।

हर नागरिक को एसएमएस के द्वारा उसके प्रतिवेदन पर की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी जाती है।